



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP19109787256646Y

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP19109787256646Y

Certificate Issued Date : 20-Apr-2026 06:48 PM

Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL01E2191582353105Y

Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : VILL-DONA, GATA-3C55, TOTAL AREA-0.7590 HEC. , LUCKNOW

Consideration Price (Rs.) : ₹14,87,640

First Party : MEENA AND OTHER

Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Amount(Rs.) : 14,87,540
(Fourteen Lakh Eighty Seven Thousand Six Hundred And Forty only)

10



Please write or type below this line

निधं
निधं मीना कुमारी
राजिन्द्र

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संचालक
लखनऊ

FH 0000964779

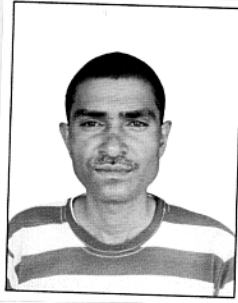
Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHIL



000086473



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

- 1- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट - 70,00,000 /- (प्रति हे०)
 - 2- जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000 /- (प्रति हे०)
 - 3- विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति - 2,12,52,000 /-
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 - 4- मालियत रू० - 53,13,000 /-
 - 5- जनरल स्टाम्प - 00000000 /-
- स्टाम्प सं. डी **IN-UP000000000000000000Y** दिनांक **000000000**

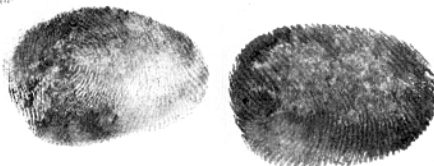
विक्रय विलेख

- 6- भूमि का प्रकार - (कृषि)
- 7- ग्राम/मोहल्ला - दोना
- 8- परगना व तहसील - काकोरी तहसील सरोजनीनगर
- 9- जनपद - लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 3055 का कुल रकबा 0.7590हे० में से विक्रीत रकबा 0.7590हे०, अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।

- 10- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.7590हे०
- 11- सड़क की स्थिति - किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
- 12- विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
- 13- विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य हैं। विक्रय हेतु अनुज्ञा अंतर्गत धारा-98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-202515701041063958 आवेदक श्री राजेन्द्र पुत्र राम बाबू व श्रीमती मीना कुमारी पत्नी रामबाबू के नाम अपर जिलाधिकारी-महोदय, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ के आदेश दिनांक 16.04.2026 के द्वारा क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।



ज्ञानेन्द्र प्रताप शर्मा
नायक
10/04/2026



भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14- परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) — नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या— 3055स

- 15- पूरब — गाटा संख्या — 3054
16- पश्चिम — गाटा संख्या — 3049
17- उत्तर — गाटा संख्या — 2961
18- दक्षिण — गाटा संख्या — 3052

19- विक्रेता का विवरण:-

1. श्रीमती मीना पत्नी राम बाबू निवासी —बदबदा खेडा, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
आधार नं० 7650 9443 5010 मो० नं० 7897509553 पैन नं० IGDPM6848H
2. श्री राजेन्द्र पुत्र राम बाबू निवासी —बदबदा खेडा, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
आधार नं० 7739 0428 3066 मो० नं० 7897509553 पैन नं० CLNPR3824D

20- क्रेता का विवरण:-

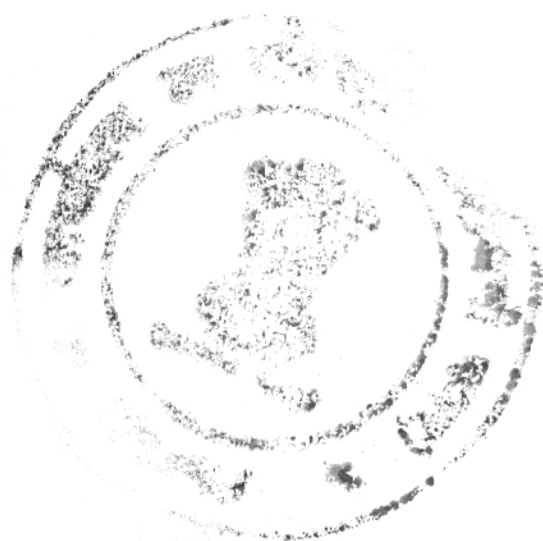
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत — वरुण विहार आवासीय योजना
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण
गोमती नगर, लखनऊ
द्वारा — श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला
पदनाम — सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार
विभाग — लखनऊ विकास प्राधिकरण
जनपद — लखनऊ मो० — 9540244993
पैन संख्या — AAALL0016F

विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 0.7590 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वज़रूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारो व दाखिल-खारिज सहित पूरे होषो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना दवाव नाजायज किसी शख्स के, मय कुल हक व हकूक के विला छोडे किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिंग रूपये 2,12,52,000/—(रूपये दो करोड बारह लाख बावन हजार मात्र) जिसके आधे मुबलिंग रूपये 1,06,26,000/—(रूपये एक करोड छः लाख छब्बीस हजार मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र

नि० अं०
राजेन्द्र

नि० अं० मी० ११

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/पंचायत
लखनऊ



प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल जर समन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता मजकूर का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारो से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बधित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए हैं अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रपन्नगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

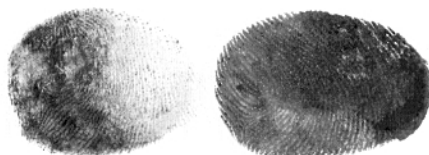
21- तफसील आराजी बयसुदा:-

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 3055 का कुल रकबा 0.7590हे० में से विक्रीत रकबा 0.7590हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

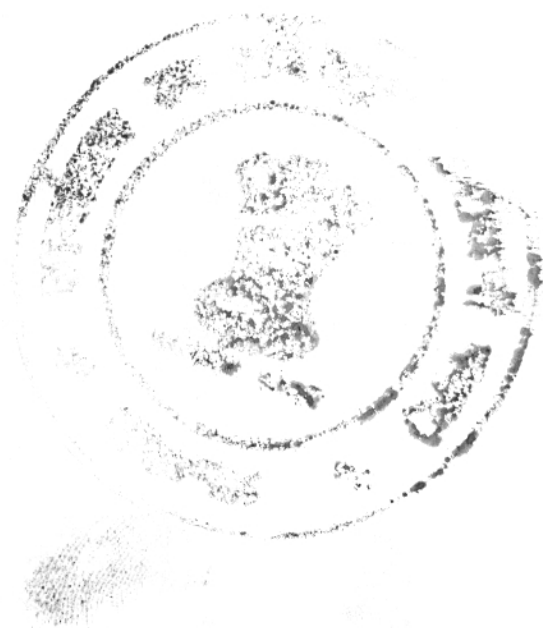
प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

22- तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रुपये 2,12,52,000/- (रुपये दो करोड बारह लाख बावन हजार मात्र) विक्रेता श्रीमती मीना पत्नी राम बाबू व श्री राजेन्द्र पुत्र राम बाबू उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट PNB Bank शाखा मुंशी पुलिया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 043256 व 043255 दिनांक 16.04.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं० ३०५५
लखनऊ



बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भाँति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

23- स्थान- लखनऊ।

दिनांक-.....2026

21/9

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/म०च०अ०
ल०वि०प्रा०

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/म०च०अ०
ल०वि०प्रा०



आवेदन सं०: 202601041017052

विक्रय पत्र

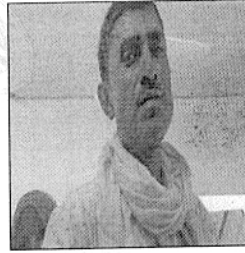
वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7002

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 21252000 स्टाम्प शुल्क- 1487640 बाजारी मूल्य - 5313000 पंजीकरण शुल्क - 212520 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 212580

श्री राजेन्द्र ,
पुत्र श्री रामबाबू
व्यवसाय : अन्य
निवासी: दोना



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/04/2026 एवं 05:13:00 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रीति विक्रम .

उप निबंधक :सरोजनीनगर

लखनऊ

22/04/2026

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक

22/04/2026



स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश



निभं
मीना

हस्ताक्षर विक्रेता
निभं
गवाह - 01

नाम - श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम - श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या- 4986 9378 6018
मोबाइल संख्या - 6387717976



टाइपकर्ता

सौरभ आनन्द
लखनऊ विकास प्राधिकरण

हस्ताक्षर क्रेताप शुक्ला

नायब तहसीलदार/संच०अ०
लखनऊ

गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या - 7081100818



प्रालेखक

श्री दान ब्रह्मादुर पाठक
(एडवोकेट)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो० 6386063529



श्री शिवम अवस्थी अमीन,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

Sh



श्री देशराज लेख0, ...

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

Shankar



रजिस्ट्रार/अधिकारी के हस्ताक्षर

Shankar

प्रीति विक्रम .

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

22/04/2026

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक लखनऊ

22/04/2026

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

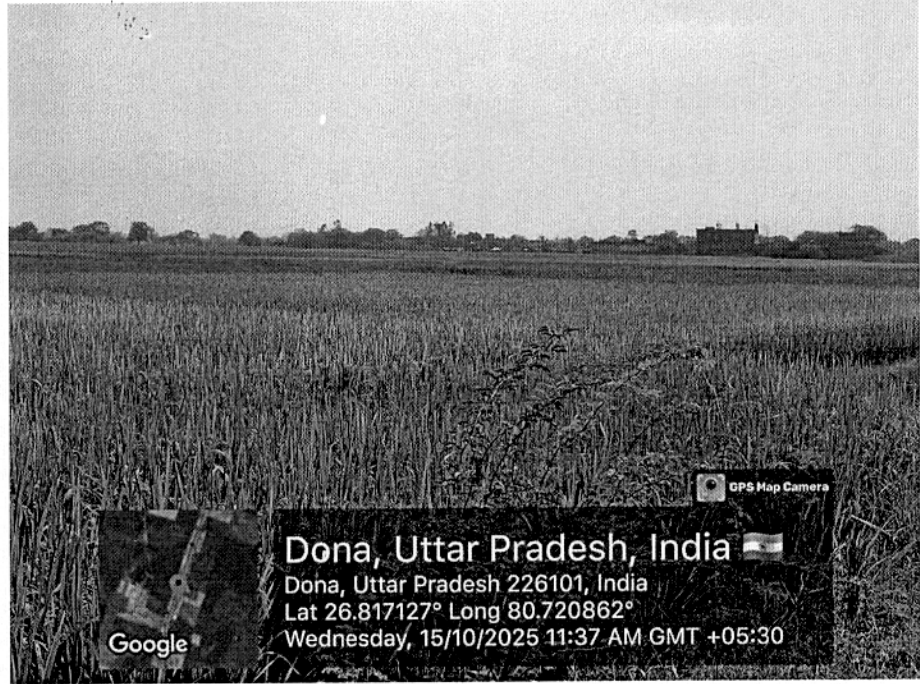


स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश



विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 3055 का कुल रकबा 0.7590हे० में से विक्रीत रकबा 0.7590हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विक्रेता के हस्ताक्षर

ज्ञानेश्वर प्रताप शुक्ला
नायब सहायक/संचालक
लखनऊ

क्रेता के हस्ताक्षर



आवेदन सं०: 202601041017052

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7002

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री राजेन्द्र,

RAJENDRA

पुत्र श्री रामबाबू

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 824D

विक्रेता: 2

श्रीमती मीना कुमारी,

MEENA

पत्नी श्री रामबाबू

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 848H

क्रेता: 1

श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार),

....

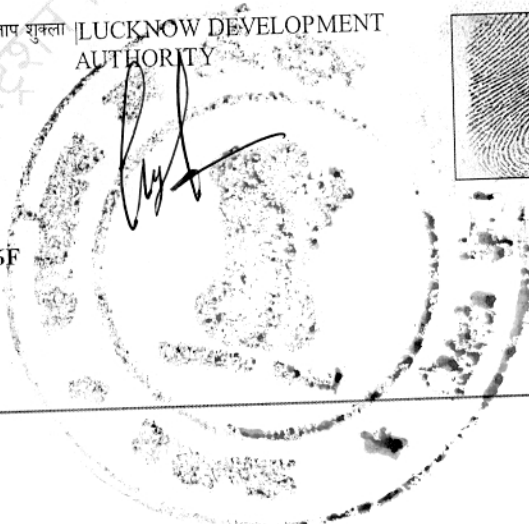
निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 016F

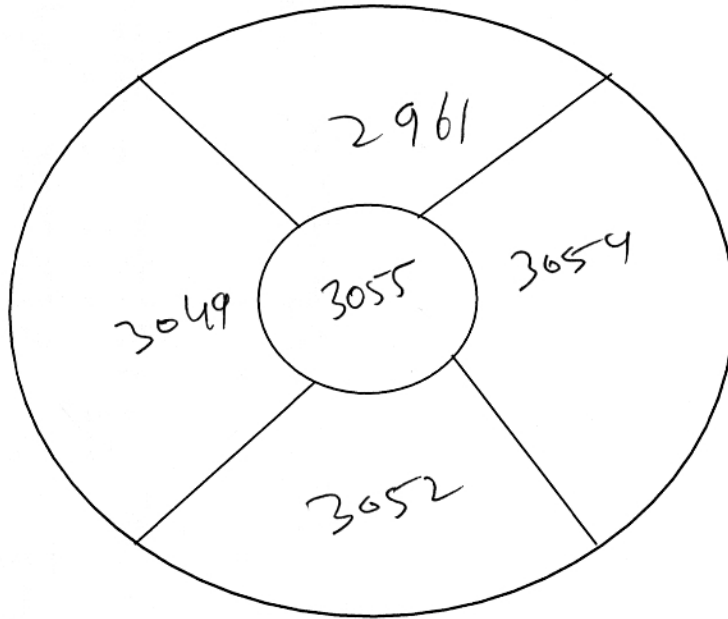
ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1



0 - 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 3055 का कुल रकबा 0.7590हे० में से विक्रीत रकबा 0.7590हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विक्रेता के हस्ताक्षर

प्रताप शुक्ला
नया तहसीलदार/संच०अ०
ल०वि०प्रा०

क्रेता के हस्ताक्षर



आवेदन सं०: 202601041017052

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15291 के पृष्ठ 41 से 60 तक क्रमांक 7002 पर दिनांक 22/04/2026 को
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रीति विक्रम .

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

22/04/2026

